फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 251''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 74/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार भीण्डर द्वारा पृथक से जवाब पेश नहीं कर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि मौजा भमेला पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 1538/1280 किता 1 रकबा 0.6200 है. भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होकर प्रार्थी उपयोग उपभोग काश्त करता चला आ रहा है। मौजा भमेला पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 1281 किता 1 रकबा 0.6500 है. भूमि विपक्षी राज्य सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है। प्रार्थी की आराजी न 1538/1280 में पहुंचने के लिये विपक्षी की आराजी न. 1281 में से होता हुआ मुख्य सड़क मार्ग आराजी न. 1285 पर मिलता है। इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थी अपने आने–जाने बेलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रक, आदि भी लाने–ले जाने के लिये उपयोग करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त आराजी पर आने जाने का यही एक मात्र है एवं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि मे पहूंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1538/1280 में पहूंचने के लिये विपक्षी की आराजी न. 1281 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजी तक कायम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम भमेला की वर्तमान जमावन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 108 में खातेदार देवीलाल पुत्र बाबरू जाति मीणा निवासी चारगदिया के नाम खसरा संख्या 1538/1280 किता 1 रकबा 0.6200 है. भूमि दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। यह कि उक्त आराजी पर पहुंच मार्ग हेतु ग्राम भमेला की राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 1281 कुल रकबा 0.65 किस्म बारानी तृतीय भूमि में से (ल.xचौ.) (66 x 9 = 594 वर्ग मीटर) रास्ता प्रस्तावित किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु निकटतम रास्ता है। जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि पर जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में स्थगन आदि नहीं है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा ग्राम भमेला की डीएलसी दर 336000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार उक्त प्र[illegible]स्ते 0.0594 है. भूमि की जमा योग्य राशि 39917/– रूपये हो[illegible]

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से [illegible] है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्युनतम दुरी वाला [illegible] उपलब्ध नहीं है उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता [illegible] जिसकी प्रार्थी को अ[illegible] आवश्यकता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम भूमि हैं। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:42 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक प.3(52)राज.-6/12/04 दिनांक 14.06.2013 द्वारा बिलानाम भूमि में से ... दिये जाने के प्रावधान किये गये है। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है ... प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि ... होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित ... होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया ... उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भमेला पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 1538/1280 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1281 रकबा 0.6500 है. भूमि में से (ल.xचौ.) (66 x 9 = 594 वर्ग मीटर) अर्थात 0.0594 है. भूमि का रास्ता तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित राजस्व नक्शा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 336000/- अक्षरे तीन लाख छतीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 19959/- रूपये का दुगुना 39917/- रूपयें उनचालीस हजार नौ सौ सतरह रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:42 IST
Reason: SelfAttested